TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (D)

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

4 Notification

New Delhi, dated the 19th January, 2018

G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the Tax Return Preparer Scheme, 2006, namely:—

Short title, commencement and application.

- 1. (1) This Scheme may be called the Tax Return Preparer (Amendment) Scheme, 2018.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Tax Return Preparer Scheme, 2006 (hereinafter referred to as the said Scheme), for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:-
 - "3. An individual, who holds a bachelor degree from a recognised Indian University or institution, or has passed the intermediate level examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India or the Institute of Company Secretaries of India or the Institute of Certified Management Accountants of India, shall be eligible to act as Tax Return Preparer."
- 3. In the said Scheme, in paragraph 4,-
 - (1) for clause (i), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(i) It shall invite application from persons,-
 - (a) having requisite educational qualifications specified in paragraph 3 or having appeared in the final year examination of the qualifying examination; and
 - (b) who is not below the age of twenty one years or more than forty-five years as on the 1st day of October of the year immediately preceding the date on which applications are invited.
 - (ia) It shall require that the application under clause (i) shall be accompanied by a fee of two hundred and fifty rupees, and failing which the application shall be invalid.".
 - (2) for clause (v), the following clauses shall be substituted, namely-
 - "(v) It shall enrol the persons who qualify the test for enrolment for each training centre separately.
 - (va) It shall not enrol any person under clause (v), unless -

- (a) he makes a deposit of an amount of seven hundred and fifty rupees, which shall be non-refundable; and
- (b) he produces a proof of having passed the qualifying examination as specified in paragraph 3.".
- (3) clause (ix) shall be omitted.".
- 4. In the said Scheme, in paragraph 9, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-
 - "(1) The Board may authorise the Resource Centre or the Partner Organisation to disburse to a Tax Return preparer, the following amount, namely:-
 - (a) five per cent, of the tax paid on the income declared in the return of income for First Eligible Assessment Year which has been prepared and furnished by him;
 - (b) three per cent. of the tax paid on the income declared in the return of income for the Second Eligible Assessment Year which has been prepared and furnished by him:
 - (c) two per cent. of the tax paid on the income declared in the return of income for the Third Eligible Assessment Year which has been prepared and furnished by him.
 - (1A) The amount of disbursement for any eligible person in relation to an eligible year shall not exceed,-
 - (a) five thousand rupees in case of First Eligible Assessment Year;
 - (b) three thousand rupees in case of Second Eligible Assessment Year; and
 - (c) two thousand rupees in case of Third Eligible Assessment Year.".

[Notification No. $\frac{1}{2018}$ /2018/F.No. 142/16/2010 (SO) – $\frac{1}{4}$ PL(Part)]

[Dr T. S. Mapwal]

Under Secretary to Government of India

Note:- The Tax Return Preparer Scheme, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2039(E), dated the 28th November, 2006 and last amended *vide* notification number S.O. 2819(E), dated the 22nd November, 2010.

[भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिस्चना

नई दिल्ली, तारीख 19 जनवरी, 2018

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा 139ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-

- 1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर विवरणी तैयारकर्ता (संशोधने) स्कीम, 2018 है ।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।
- 2. कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 के स्थान पर निम्नतिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "3. ऐसा कोई व्यष्टि जो किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक डिग्री रखता है या जिसने भारत का चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारत का कंपनी सचिव संस्थान या भारत का प्रमाणित प्रबंध लेखा संस्थान द्वारा संचातित डेटामीडिएट स्तर की परीक्षा पास की है, कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा ।"।
- 3. उक्त स्कीम के पैरा 4 में,-
 - (1) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(i) ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जो,-
 - (क) पैरा 3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षित शैक्षिक अर्हता रखते हैं या अर्हता परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हुए हों; और
 - (ख) जो आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले दिन से ठीक पूर्ववर्ती 1 अक्तूबर को इक्कीस वर्ष से कम या पैंतालीस वर्ष से अधिक न हो।
 - (iक) यह अपेक्षित होगा कि खंड (i) के अधीन आवेदन के साथ दो सौ पचास रुपए की फीस संलग्न की जाए और जिसके न होने पर आवेदन अविधिमान्य होगा ।"।
 - (2) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
 - "(v) यह उन व्यक्तियों को अभ्याविष्ट करेगा जिन्होंने पत्येक प्रशिक्षण केंद्र के लिए अभ्याविष्टन हेत् परीक्षण अर्ह कर लिया हो ।

- (vक) यह ऐसे किसी व्यक्ति को खंड (v) के अधीन अभ्याविष्ट नहीं करोगा, जब तक-
 - (क) वह सात सौ पचास रुपए की रकम जो अप्रतिदेय होगी, जमा न कर दे; और
- (ख) वह पैरा 3 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अर्हक परीक्षा पास करने का सबूत प्रस्तुत न कर दे ।"।
- (3) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ।
- 4. उक्त स्कीम के पैरा 9 में, उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(1) बोर्ड, किसी साधन केंद्र या भागीदार संगठन को कर विवरणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित रकम संवितरित करने को प्राधिकृत कर सकेगा, अर्थात्:-
 - (क) पहले उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तृत की गई है, घोषित आय पर संदत्तं कर का पांच प्रतिशत;
 - (ख) दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तृत की गई है, घोषित आय का तीन प्रतिशत;
 - (ग) तीसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में, जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्त्त की गई है, घोषित आय का दो प्रतिशत ।
 - (13) किसी पात्र व्यक्ति के संबंध में किसी उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए संवितरित रकम निम्नलिखित से ज्यादा नहीं होगी-
 - (क पहले उपयुक्त निर्धारण वर्ष की दशा में पांच हजार रुपए;
 - (ख) दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष की दशा में तीन हजार रुपए;
 - (ग) तीसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष की दशा में दो हजार रुपए ।"।

[अधिसुचना सं. 4/2018/फा.सं.142/16/2010(एसओ)- (टीपीएल(भाग)]

(डा. टी. एस. मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2039(अ), तारीख 20 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना का.आ. 2819 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2010 द्वारा किए गए।